पीठासीन अधिकारी- श्री चंद्रोदय कुमार, H.J.S.
M.A.C.P. No.- 392/2020
धीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री कोमल सिंह, निवासी- ग्राम व पोस्ट पालर, थाना- बडागांव, जिला- झांसी

- - - - - - - - - - - - याची

बनाम

1. अखिलेश पुत्र श्री रामकिशन, निवासी- 113, ग्राम खजरारी, टहरौली, जिला- झांसी (पंजीकृत स्वामी मोटर साइकिल संख्या- UP93AN5414)
2. कौशल साहू उर्फ संजय साहू पुत्र श्री रमेश चन्द्र साहू, निवासी- ग्राम अम्मगढ, अमरा, थाना- मोठ, जिला- झांसी (चालक मोटर साइकिल संख्या- UP93AN5414)

- - - - - - - - - - - - विपक्षीगण

याची के अधिवक्ता- **श्री रमेश चन्द्र कुशवाहा**
विपक्षीगण के अधिवक्ता- **श्री एम.के. पारासर**

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांकः10.07.2021

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। याची धीरेन्द्र सिंह मय अधिवक्ता उपस्थित हैं। विपक्षी संख्या- एक व दो अखिलेश तथा कौशल साहू उर्फ संजय साहू दो की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री एम.के. पारासर उपस्थित हैं।

उभय पक्ष की ओर से सन्धि पत्र 13B इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में याची एवं विपक्षी संख्या- एक एवं दो के मध्य प्रतिकर की धनराशि रु.1,50,000 प्रतिकर के लिए राजीनामा हो गया है, जिससे याची संतुष्ट है। अतः उक्त प्रकरण उपरोक्त राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर दिया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि याची ने दिनांक 11.3.20 को कथित सडक दुर्घटना में स्वंय को आई गम्भीर चोटों के लिए रु.23,50,000 प्रतिकर की मांग करते हुये वर्तमान याचिका योजित की है और दौरान विचारण उक्त राजीनामा प्रपत्र 13B प्रस्तुत करते हुये राजीनामा के आधार पर याचिका निस्तारित किये जाने का आग्रह किया है। उक्त राजीनामा प्रपत्र पर याची के हस्ताक्षरों की शिनाख्त उसके विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चन्द्र कुशवाहा के द्वारा तथा विपक्षीगण की शिनाख्त श्री एम.के. पारासर द्वारा की गयी है। उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से सत्यापित किया गया है।

चूंकि इस प्रकरण में याची एवं विपक्षीगण के मध्य राजीनामा हो गया है। अतः उपरोक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

याची एवं विपक्षी संख्या- एक व दो की ओर से प्रस्तुत सन्धि पत्र 13B स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान प्रतिकर याचिका याची **धीरेन्द्र सिंह** एवं विपक्षीगण **अखिलेश व कौशल साहू उर्फ संजय साहू** की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा के आधार पर रु.**1,50,000** प्रतिकर हेतु निर्णीत की जाती है। विपक्षीगण को आदेशित किया जाता है कि वे इस निर्णय के तीस दिवस के अन्दर प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि न्यायाधिकरण के पंजाब नैशनल बैंक के खाता संख्या- 3671000101192489(IFSC: PUNB0367100) में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे।उपरोक्त प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि याची RTGS/NEFT के माध्यम से नकद प्राप्त करेगा। उक्त राजीनामा/सन्धि पत्र 13B इस निर्णय का भाग रहेगा।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झांसी

Digitally signed by
CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.10 18:23:18 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI